

पत्र संख्या-वन भूमि-32/2016- 5529 व0प0

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक - 07/12/2016

विषय:- RGGVY के अंतर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0 का चौपारण ब्लॉक (चौपारण से चोरदाहा) तक 11 K.V. ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु 5.6322 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-1021 दिनांक-17.11.2016

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आलोक में अग्रतर कार्रवाई हेतु निम्नलिखित प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य की आवश्यकता है :-

- (1) FRA, 2006 के तहत अनापति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के क्रम में की गई ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही।
- (2) प्रस्ताव में सन्निहित 0.308 हे0 गैर मजरूआ जंगल-झाड़ी भूमि के उपयोग हेतु संबंधित उपायुक्त के स्तर से निर्गत अनापति प्रमाण-पत्र।
- (3) C.W.L.W. का मंतव्य।
- (4) प्रस्तावित C.A. Land का D.G.P.S. Map।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वांछित प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)

सरकार के उप सचिव

झापांक-वन भूमि-32/2016- 5529

व0प0, राँची, दिनांक- 7/12/16

प्रतिलिपि-प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि0, इंजिनियरिंग हॉस्टल, एच0ई0सी0, धुर्वा, राँची-834004/विद्युत कार्यपालक अभियंता, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, हजारीबाग, झारखण्ड-825301 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 सरकार के उप सचिव